न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 39 / 2018 दायर दिनांक—23.08.2018

निर्णय दिनांकः— 20-5-.2022

श्रीमती अलखी पत्नि गौतम, जाति पटेल उम्र 64 वर्ष निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) **(वादी)**

बनाम

1—धर्मेन्द्र माता स्व. मोती
2— अनिल माता स्व. मोती
3— विक्रम माता स्व. मोती
4— सुरपाल माता स्व. मोती
5— जितेन्द्र माता स्व. मोती
6— हेमेन्द्र माता स्व. मोती
7— बदी पिता हदु
8— कालु पिता हदु समस्त जाति हजुरी, उम्र वयस्क निवासियान चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
9— श्रीमान लेण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) **(प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 रा0 काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री कृष्णराजसिंह — वादी

:: अन्तिम निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा चुण्डावाडा पटवार हल्का चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के खाता संख्या 20 नई 528 पुरानी में निम्न आराजियात स्थित है—

खसरा सं.	क्षेत्रफल	किस्म
1838	11 बिस्वा	बीड
1839	06 बिस्वा	राकड प्रथम
3031	12 बिस्वा	सुखी द्वितीय
3035	05 बिस्वा	बीड
3037	02 बिघा 03 बिस्वा	सुखी प्रथम
कुल कीता 5	कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा	

उपर वर्णित कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कृषि भुमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादीगण के उपरवर्णित भूमि के सहखातेदार है तथा सम्पूर्ण भुमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त कब्जे में स्थित है जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीगण शामलात में खेती करते है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भुमि में वादीया का हिस्सा 1/4 है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में 1/4 हिस्सा वादीया के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त 1/4 हिस्सा वादीया के स्वामित्व का होकर वादीया इस पर काबिज है। उक्त 03 बीघा 17 बिस्वा कृषि भुमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का हिस्सा 1/4 है, प्रतिवादी सं. 07 का हिस्सा 1/4 है एवं प्रतिवादी संख्या 08 का हिस्सा 1/4 है। इसी अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज है।

वादीया उपरवर्णित कृषि भुमि में अपने हिस्से पर उक्त भुमि क्रय करने की दिनांक से काबिज होकर काश्त करती आ रही है लेकिन प्रतिवादीगण आये दिन वादीया को काश्त करने में रूकावट डालकर विवाद करते रहते हे तथा आये दिन वादीया के हिस्से की भुमि पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास करते है। दिनांक 21.07.2018 को वादीया अपने हिस्से की भुमि में काश्त करने गयी तो प्रतिवादीगण ने वादीया को काश्त करने से रोकने का प्रयास किया । आस पडौस के लोगों ने आकर समझाइश की इस पर प्रतिवादीगण वहा से चले गये लेकिन जाते हुए भी कह कर गये है कि वादीया को उसकी भुमि से बेदखल कर देंगे।

राजस्व ग्राम चुण्डावाडा पटवार हल्का चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर के खाता संख्या 20 नई 528 पुरानी खसरा संख्या 1838,1839,3031,3035 एवं 3037 कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कृषि भुमि का कानुनी बंटवारा किया जाकर उक्त आराजी में स्थित वादीया के स्वामित्व एवं खाते का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग किया जाकर वादीया के नाम पृथक राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज किया जावें एवं चालु राजस्व रेकार्ड (जमाबन्दी) एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जाकर स्वतंत्र खातेदारी में बंटवारा अनुसार भुमि दर्ज करने के आदेश प्रदान करावे।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु बार— बार अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर प्रतिवादीगण की 13.09.2019 जवाब स्टेज बन्द की जाकर पत्रावली में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध 12.01.2022 को एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लायी गयी तथा वादीया के ओर से दिनांक 20.02.2020 को साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया। चुंकि प्रकरण बटवारा का होने

से मौजा चुण्डावाडा पटवार मण्डल चुण्डावाडा के खसरा संख्या 1838,1839,3031,3035 एवं 3037 कुल किता 05 कुल रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा कृषि भुमि का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से/कब्जे काश्त अनुसार वाद वर्णित भूमि (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है) की दिनांक 08.2.2022 को जारी कर तहसीलदार बिछीवाडा से बटवारा रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार, बिछीवाडा से मौजा चुण्डावाडा के खाता संख्या 20 कुल किता 03 (संलग्न विकय विलेख दिनांक 18.5.2011 के अनुसार कय की गई भूमि का बटवारा कर बटवारा स्किम प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

खाते अनुसार कुल भूमि				जिसके हिस्से में आई उस हिस्सेदार का नाम							
				अलखी पत्नि गौतम				वदी कालु पिता हदु 1/46 धमेन्द्र, अनिल, विकम, सुरपाल, जितेन्द्र, हेमेन्द्र माता मोती			
खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान
1838	0.11	बीड	0.06	–	–	–		1838	0.11	बीड	0.06
1839	0.06	रा0 I	0.08	–	–	–		1839	0.06	रा0 I	0.08
3031	0.12	सु. II	0.45	3031	0.06	सु0 II	0.22	3031	0.06	सु. II	0.23
3035	0.05	बीड	0.03	–	–	–	–	3035	0.05	बीड	0.03
3037	1.83	सु. II	1.83	3037	0.09	सु. I	0.60	3037	1.14	सु. I	1.23
योग 5	योग 3.17	–	योग लगान 2.43	2	0.15		0.82	5	3.02	–	1.83

उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौजा चुण्डावाडा के खाता नं. 20 में खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिकी किया जाता है। बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 20-5-22 को सरेईजलसा सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

बिछीवाडा में पेश हुई [illegible]

डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई

(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए)

अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)

बईजलास– अश्विन के. पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 39/2018 दायर दिनांक–23.08.2018

निर्णय दिनांकः– 20-5 .2022

श्रीमती अलखी पत्नि गौतम, जाति पटेल उम्र 64 वर्ष निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) (वादी)

बनाम

1–धर्मेन्द्र माता स्व. मोती
2– अनिल माता स्व. मोती
3– विक्रम माता स्व. मोती
4– सुरपाल माता स्व. मोती
5– जितेन्द्र माता स्व. मोती
6– हेमेन्द्र माता स्व. मोती
7– बदी पिता हदु
8– कालु पिता हदु समस्त जाति हजुरी, उम्र वयस्क निवासियान चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
9– श्रीमान लेण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) (प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 रा0 काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1– श्री कृष्णराजसिंह – वादी

:: अन्तिम डिक्री ::

यह मुकमदा आज वास्तें इनफिसल कतई रूबरू अश्विन के.पवार आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री कृष्णराजसिंह, पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है किः–

मौजा चुण्डावाडा के खाता संख्या 20 कुल किता 03 (संलग्न विक्रय विलेख दिनांक 18.5.2011 के अनुसार क्रय की गई भूमि का बटवारा कर बटवारा स्किम प्राप्त हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

खाते अनुसार कुल भूमि				जिसके हिस्से में आई उस हिस्सेदार का नाम							
				अलखी पत्नि गौतम				बदी कालु पिता हदु 1/46 धमेन्द्र, अनिल, विक्रम, सुरपाल, जितेन्द्र, हेमेन्द्र माता मोती			
खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान	खसरा सं0	रकबा	किस्म	लगान
1838	0.11	बीड	0.06	–	–	–		1838	0.11	बीड	0.06
1839	0.06	रा0 I	0.08	–	–	–		1839	0.06	रा0 I	0.08
3031	0.12	सु. II	0.45	3031	0.06	सु0 II	0.22	3031	0.06	सु. II	0.23
3035	0.05	बीड	0.03	–	–	–	–	3035	0.05	बीड	0.03
3037	1.83	सु. II	1.83	3037	0.09	सु. I	0.60	3037	1.14	सु. I	1.23
योग 5	योग 3.17	–	योग लगान 2.43	2	0.15		0.82	5	3.02	–	1.83

उपरोक्त खातेदारो के मध्य अन्तिम बंटवारा स्कीम का पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फेसल में शुमार हो दाखिल दफ्तर होवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 20-5-22 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा